

उनवान:- हरिराम बनाम पितराम वगै0  
दावा बावत इन्द्राज दुरुस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक  
22/11/24

फर्द अहकाम

वादीगण की और से श्री राधारमण शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत इन्द्राज दुरुस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 19.12.2024 को पेश हो।

TG13-17  
22/11/24

*(Signature)*

(पूजा मीना)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

19/12/24

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादीयकीव की वी उपस्थित नहीं हुआ कारन आवाज देना नहीं। इसके उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं हुआ इसलिए वादी का उक्त दावा इन्द्राज दुरुस्ती रूपाई निषेधाज्ञा वादी वकील की भाइय पेशवा भाइय द्वारा भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फेराल सुभाउडोकर नम्बर से काम कर उपस्थित हुए। पुनश्च इलाके के उपरांत वादी एवं वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1 लुगापूर 3 की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा मुडकोर के महाधायनमा पेश किया प्रतिवादी नं. 4 के लक्ष्मी नोकिस खामील डोकल प्राप्त नहीं हुई है एवं प्रतिवादी नं. 5 को भी से पेश करवा उपस्थित। वादी जवाफ उप लक्ष्मी दिनांक 30-1-25 को पेश है।

*(Signature)*  
(R.R. Sharma)  
Adv.  
हरिराम



दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

आगे चलाए  
 नदी चलाए  
 श्री राम  
 देवकुं  
 (D...)

3-1-25 फ्रायवी याडी वकील के प्राप्ति पर लक्ष्य  
 गई। याडी एवं याडी वकील ने प्राप्ति पर  
 कार्रवाई की है & उचित। इस वापस  
 किया की इस पड़ा कारण के मध्य में  
 एक पत्रों ने सही नाम दे दिया है। कुछ  
 उसे को जाने नही चलाना चाहते हैं।  
 कुछ उस वापस इंडाज इकाई शक्ति  
 प्राप्त है। फ्रायवी के साथ इकाई के  
 के कर के अर्थ पर है।